फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती कंचनदेवी **विपक्षी :– श्री ऐलीराम**

किस्म मुकदमा – 53,188 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 72/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 30.09.2020

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां उपस्थित। अधिवक्ता वादीयां की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीयां की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादीयां स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादीयां से बंटवाडा शुल्क 400/– अक्षरे चार सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :–

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	कंचनदेवी पत्नी रामलाल लौहार निवासी तलाई जिला राजसमन्द खातेदार	2056 मी.	5.10	चा.उ. 5.08 जा.उ. 0.02	37.80 0.35
	योग	किता 1	5.10	–	38.15
2	ऐलीराम मुतबन्ना जोरा लौहार सा. देह खातेदार	2056/1	1.17	बीड 0.11 जा.उ. 1.06	0.28 4.55
	योग	किता 1	1.17	–	4.83
3	चुन्नीलाल पिता मोडा लौहार सा. देह खातेदार	2056/2	0.13	चा.उ.	4.55
	योग	किता 1	0.13	–	4.55
4	कंचनदेवी पत्नी रामलाल 1/3 लौहार ऐलीराम मुतबन्ना जोरा 1/3 चुन्नीलाल पिता मोडा 1/3 लौहार सा. देह खातेदार	2056/3	0.01	जा.उ.	0.18
	योग	किता 1	0.01	–	0.18

नोट– उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.20 10:37:59 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्री रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 72/18 (वाद)

उनवान

1. श्रीमती कंचनदेवी पत्नी रामलाल लौहार निवासी खरताणा तह. मावली।

................वादीयां

बनाम

1. श्री ऐलीराम मुतबन्ना जोरा लौहार निवासी चंगेडी तह. मावली।
2. श्री चुनीलाल पिता मोडा लौहार निवासी चंगेडी तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीयां की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.09.2020 को रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र स	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	कंचनदेवी पत्नी रामलाल लौहार निवासी तलाई जिला राजसमन्द खातेदार	2056 मी.	5.10	चा.उ. 5.08 जा.उ. 0.02	37.80 0.35
	योग	किता 1	5.10	–	38.15
2	ऐलीराम मुतबन्ना जोरा लौहार सा. देह खातेदार	2056/1	1.17	बीड 0.11 जा.उ. 1.06	0.28 4.55
	योग	किता 1	1.17	–	4.83
3	चुन्नीलाल पिता मोडा लौहार सा. देह खातेदार	2056/2	0.13	चा.उ.	4.55
	योग	किता 1	0.13	–	4.55
4	कंचनदेवी पत्नी रामलाल 1/3 लौहार ऐलीराम मुतबन्ना जोरा 1/3 चुन्नीलाल पिता मोडा 1/3 लौहार सा. देह खातेदार	2056/3	0.01	जा.उ.	0.18
	योग	किता 1	0.01	–	0.18

नोट–उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.20 10:37:59 IST
Reason: SelfAttested